



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220930
CG-DL-E-07082020-220930

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2281]
No. 2281]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SHRAVANA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ. 2575(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2967(अ), तारीख 19 अगस्त 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कन्नूर जिले में NH66 (पुराना न ह -१७) के कि.मी. 148.000 से कि. मी.171.200 (कन्नूर खंड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19.09.2019" को "मातृभूमि" और "थे नई इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केरल राज्य के कन्नूर जिले में NH66 (पुराना NH-17) के कि.मी. 148.000 से कि. मी. 171.200 (कन्नूर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: केरल		जिले का नाम: कन्नूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कन्नूर				
	गांव का नाम: मुज़हैप्पिलानगड (मुज़हुप्पीलंगड)				
1	231/2	निजी	गार्डन	0.0025	मुस्तफ़ा बैतूल सीननाथ (२३१/६)
2	231/4	निजी	गार्डन	0.0009	गिरीश मुथारथ (२३१/७)
3	232/4	निजी	गार्डन	0.0041	शैलजा (२३२/१२)
4	232/4	निजी	गार्डन	0.0233	प्रेमा, मुकुन्द कन्डोथ, ठांसन, थानकाचन, पद्मिनी, प्रकाशन, प्रमोद, चंद्रन, मभीरा (२३२/१३)
5	232/6	निजी	गार्डन	0.0051	क. म. खदेड (२३२/१४)
6	233/6	निजी	गार्डन	0.0003	रसाक (२३३/१४)
7	234/4	निजी	वेट	0.065	रफ़ीना, गंगाधरन, कोट्टियाथ रमा, अशरफ, नज़र, क.क. आरिफा, यशोदा,

					मशूद, सत्यवती, अब्दुल अज़ीज़ (२३४/५)
8	235/2	निजी	वेट	0.0148	स. प. मुहम्मदकुनहि (२३५/२)
9	235/4	निजी	वेट	0.065	कोलथई अब्दुरहीमन, रुबीना भाषीर, कुनहलीमा & ओठेर्स, पद्मजा, मुहम्मदकुनहि (२३५/५)
10	236/5	निजी	वेट	0.0219	क. प. जयचंद्रन, क. प. हौवा, क.प. सफिया (२३६/८)
			कुल	0.2029	

[फा. सं. NHAI/11018/LA/PIU-Kozhikode/Amended(3a)/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2020

S. O. 2575(E).---Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. 2967(E), dated the 19th August 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH66 (Old NH-17) on the stretch of land from Km. 148.000 to Km. 171.200(Kannur Section) in the district of Kannur in the state of Kerala

And whereas the substance of the said notification has been published in “Mathrubhoomi” and “The New Indian Express” both dated 19.09.2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH66 (Old NH-17) in the stretch of land from Km 148.000 to Km. 171.200 (Kannur Section) in the district of Kannur in the state of Kerala.

State: KERALA		District: KANNUR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kannur					
Village: Muzhappilangad (Muzhuppilangad)					
1	231/2	Private	Garden	0.0025	Musthaffa Baithul Seenanath 231/6
2	231/4	Private	Garden	0.0009	Girish Mutharath 231/7
3	232/4	Private	Garden	0.0041	Shylaja 232/12
4	232/4	Private	Garden	0.0233	Prema, Mukundan Kandoth, Thansan, Thankachan, Padmini, Prakashan, Pramod, Chandran, Mubheera 232/13
5	232/6	Private	Garden	0.0051	K. M. Khader 232/14
6	233/6	Private	Garden	0.0003	Rasaak 233/14
7	234/4	Private	Wet	0.065	Rafeena, Gangadharan, Kottiyath Rama, Asharaf, Nasar, K.K. Arifa, Yeshoda, Mashood, Sathyavathi, Abdul Azeez 234/5
8	235/2	Private	Wet	0.0148	C. P. Muhammedkunhi 235/2
9	235/4	Private	Wet	0.065	Kolathayi AbduRahiman, Rubina Bhasheer, Kunhaleema & Others, Padmaja, Muhammedkunhi 235/5
10	236/5	Private	Wet	0.0219	K. P. Jayachandran, K. P. Hauwa, K.P. Safiya 236/8
			TOTAL	0.2029	

[F. No. NHAI/11018/LA/PIU-Kozhikode/Amended(3a)/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.